

पूज्य वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उमवान

राजकीर नाम राजकीर लाल ठगरी

दाया बाबत :- 88, 89, 90, 91

मुकदमा नम्बर :- 364/21

निर्णय दिनांक :- 03.12.2021

वादी की ओर से वकील श्री सुरेश बैनीवाल ए० की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील श्री धरजीर बिजारिया ए० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.12.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्री राजकीर लाल के खाता सं० 116/135 के खाता सं० 123 की 4.294 ₹, खाता सं० 132 की 5.622 ₹, खाता सं० 133 की 7.2600 ₹, खाता सं० 130 की 0.304 ₹, खाता सं० 202/2 की 2.257 ₹, खाता सं० 22 की 10.452 ₹, कुल खाता 6 की 31.299 ₹ परानी खातेदारी में मेरे अधिकारी राजकीर लाल के नाम से 14322/3151 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। मेरे अकेले अधिकारी सं० 1 राजकीर लाल के खातेदारी राजकीर, अधिकारी सं० 2 राजकीर लाल, अधिकारी सं० 3 सुरेश को पहिला पक्ष के खातेदार कारतदार घोषित किये जाते हैं। अधिकारी सं० 3 सुनील ने अपना भार एक व हिस्सा राजकीर लाल अधिकारी सं० 1 व राजकीर लाल के पक्ष में त्याग कर अन्य कर लिया है इसलिए पक्ष निर्णय अर्थात् हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन अतः व खाता इश्ये इस से। यदि इनके अति अति के अति है तो इनके अति से पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में दाखल कराने विना जावे। राजकीर लाल को हिस्से का भाग पत्र जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
 (शक्ति प्रभारी) R.A.S.  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़  
 कैम्प